संख्या-73/2016/637/22-4-16-48(16)/14

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 13 जून, 2016

विषय- प्रदेश के 24 कारागारों के परिसर में मुलाकातियों के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13202/नम-3/मुला0शौचा0/2016, दिनांक- 02 मई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 24 कारागारों के परिसर में मुलाकातियों हेतु 24 ब्लाकों में शौचालयों (एक ब्लाक में 04 नग पुरूष शौचालय, 04 नग यूरिनल, 02 नग महिला शौचालय, 01 नग सेप्टिक टैंक सोकपिट, 01 नग इण्डिया हैण्डपम्प तथा 01 नग सबमर्सिबिल बोरिंग टॉयलेट हेतु) के निर्माण हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त कार्य की रू0 3,85,44,000/-(रूपया तीन करोड़ पच्चासी लाख चौवालीस हजार मात्र) की लागत पर जनपदवार पृथक-पृथक प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्न तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार प्रदान करते हैं। इस कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागत के सापेक्ष तालिका के कालम-5 में उल्लिखित धनराशि, जिसका कुल योग रू0 1,92,72,000/-(रूपया एक करोड बानवे लाख बहत्तर हजार मात्र) है, को आहरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	कारागार का नाम	प्रस्तावित विजिटर टायलेट ब्लाक (04 नग पुरूष शौचालय, 04 नग यूरिनल, 02 नग महिला शौचालय, 01 नग सेप्टिक टैंक सोकपिट, 01 नग इण्डिया हैण्डपम्प तथा 01 नग सबमर्सिबिल बोरिंग टॉयलेट हेतु)	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार आगरा	01	16.06	8.03
2	जिला कारागार अलीगढ	01	16.06	8.03
3	जिला कारागार देवरिया	01	16.06	8.03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	जिला कारागार एटा	01	16.06	8.03
5	जिला कारागार फतेहगढ	01	16.06	8.03
6	जिला कारागार प्रतापगढ	01	16.06	8.03
7	जिला कारागार उरई	01	16.06	8.03
8	जिला कारागार वाराणसी	01	16.06	8.03
9	जिला कारागार गाजीपुर	01	16.06	8.03
10	जिला कारागार मऊ	01	16.06	8.03
11	जिला कारागार गोण्डा	01	16.06	8.03
12	जिला कारागार फिरोजाबाद	01	16.06	8.03
13	जिला कारागार गोरखपुर	01	16.06	8.03
14	जिला कारागार बाराबंकी	01	16.06	8.03
15	जिला कारागार सीतापुर	01	16.06	8.03
16	जिला कारागार रायबरेली	01	16.06	8.03
17	जिला कारागार हमीरपुर	01	16.06	8.03
18	केन्द्रीय कारागार नैनी	01	16.06	8.03
19	जिला कारागार मेरठ	01	16.06	8.03
20	जिला कारागार बिजनौर	01	16.06	8.03
21	जिला कारागार फतेहपुर	01	16.06	8.03
22	केन्द्रीय कारागार फतेहगढ	01	16.06	8.03
23	जिला कारागार झांसी	01	16.06	8.03
24	जिला कारागार कौशाम्बी	01	16.06	8.03
	योग-	24	385.44	192.72

(1) आगणन में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(2) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-73/2016/637(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in